

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} संविदा /अलेसे-III/

दिनांक 21.12.2011

कार्यालय आदेश

वित्त {राजस्व} विभाग के आदेश क्रमांक प02 {16} वित्त /राजस्व /2008 दि० 20.05.2010 एवं संमसख्यक आदेश दिनांक 02.07.2010 के क्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा के आधार पर कनिष्ठ लेखाकारों के रिक्त पदों के विरुद्ध उनके नाम के सामने अंकित विभागों/कार्यालयों में प्रारम्भ में एक वर्ष तथा तत्पश्चात आवश्यकतानुसार 2 वर्ष /अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के लिये संविदात्मक नियुक्ति की गई थी । निम्नांकित सेवानिवृत्त कर्मिकों की प्रथम एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के कारण एवं सेवाओं के संतोषजनक होने के अध्यधीन उनके नाम के सामने अंकित तिथि तक संविदात्मक नियुक्ति अवधि निम्न विवरणानुसार दूसरे वर्ष के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो अभिवृद्धि की जाती है :-

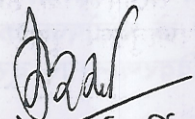
क. सं.	नाम सर्वश्री	पदस्थापन कार्यालय का नाम	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	अभिवृद्धि दिनांक तक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	भरत सिंह सोलंकी	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बांसवाड़ा	13.12.10	12.12.12	
2.	गुलाब सिंह	जिला शिक्षा अधिकारी (मा०), बांसवाड़ा	16.12.10	15.12.12	
3.	प्रकाश चन्द जैन	कोषालय, चित्तौडगढ़	22.12.10	23.08.12	23.8.12 का अधिकतम 65 वर्ष
4.	प्रकाश चन्द जैन	कोषालय, डूंगरपुर	15.02.11	14.02.13	
5.	यशपाल सिंह भाटी	कोषालय, डूंगरपुर	08.03.11	07.03.13	
6.	महेश चन्द भट्ट	उपकोषालय (सागवाड़ा), डूंगरपुर	10.03.11	09.03.13	
7.	राम निवास सोनी	सहायक निदेशक कृषि नोहर (हनुमानगढ़)	21.01.11	20.01.13	
8.	ईश्वर लाल	कोषालय, जालोर	21.01.11	20.01.13	
9.	गोविन्द	कोषालय, जालोर	21.01.11	20.01.13	
10.	सूरजमल	तहसील आहोर(जालोर)	24.01.11	23.01.13	
11.	किशन लाल वर्मा	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़	06.12.10	09.7.12	09.7.12 का अधिकतम 65 वर्ष
12.	ओम प्रकाश वर्मा	राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय सीकर	01.03.11	28.02.13	
13.	महावीर प्रसाद माथुर	कोषालय सीकर	11.02.11	10.02.13	
14.	बाबू लाल टांक	कोषालय प्रतापगढ़	13.12.10	12.12.12	

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

निदेशक

क्रमांक:-एफ4(ई)(1) {6} संविदा {पि-पेंशन} /अलेसे-III/ १०२३ - १०६५ दिनांक २१.१२.२०११
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

- 1 जिला कलक्टर ,
- 2 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
- 3 संयुक्त निदेशक {कोष एवं बजट}/कार्मिक-I {अलेसे-I/II} कार्या० हाजा
- 4 कोषाधिकारी.
- 5 श्रीपता.....
- 6 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 7 विशेषाधिकारी कम्प्यूटर शाखा {वेबसाईट हेतु }
- 8 निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका/पदस्थापन सीट


संयुक्त निदेशक {कार्मिक-II}